17.20 hrs.

## IRON ORE MINES AND MANGANESE ORE MINES LABOUR WELFARE CESS BILL.

## AND

## IRON ORE MINES AND MANGANESE ORE MINES LABOUR WELFARE FUND BILL.

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI RAGHUNATHA REDDY): I beg to move:*

"That the Bill to provide for the levy and collection of a cess on iron ore and manganese ore for the financing of activities to promote the welfare of persons employed in the iron ore mines and manganese ore mines and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

"That the Bill to provide for the financing of activities to promote the welfare of persons employed in the iron ore mines and manganese ore mines, be taken into consideration."

The welfare of workers is an important function of any Welfare State. In developing countries like ours, Governments have to play an active role to ensure welfare of workers because they are either not organised or their organisations are too weak to bargain with the employer for such facilities as they need.

The Directive Principles of State Policy laid down in our Constitution speak of the 'promotion of welfare of people' in general and of 'securing just and humane conditions of work', in particular. In this context, the improvement of the living conditions of the workers assumes great importance. In fact now the main emphasis of the 20-point economic programme, which has been enunciated by our illustrious Prime Minister, is on improving the living conditions of the weaker sections of the society.

Mine workers form a class by themselves because they have to live and work in remote areas where none of the modern urban facilities are available. It was not until the outbreak of the Second World War that Government of India and the State Governments realised the need for improving the living condition of workers as a means to increase workers' efficiency and boost their morale. The earliest attempt in this direction was the setting up of Coal Mines Welfare Organisation by an Ordinance in 1944. Encouraged by the success of this Organisation, the Government set up similar welfare funds for workers employed in mica, iron ore, limestone and dolomite mining industries. The role of these welfare organisations is to supplement and not to supplant the efforts of the State Governments and the employers to improve the quality of life of the workers and their dependents The welfare activities undertaken by these organisations are financed out of the proceeds of cess on the minerals concerned.

As the Hon'ble members are aware, the Iron Ore Mines Welfare Organisation has been in existence since 1963. Since Manganese ore generally occurs in the same areas and locations as the iron ore, it is but proper that the manganese workers should not be denied the benefits which accrue to the Iron Ore Mine workers nearby. Since there is also already in existence a well-knit organisation to look after the welfare of Iron Ore Mine workers, this organisation could also be made responsible to attend to the needs of the manganese ore mine workers. There are about 52,000

*Moved with the recommendation of the President.

[Shri Raghunatha Reddy]

workers employed in iron ore mining industry and about 28,000 workers employed in iron ore mining industry. Taking on an average three dependents per worker the total number of beneficiaries of this Joint Fund would be about 3,20,000.

The present rate of cess on iron ore production is @ 25 paise per tonne and at this rate a total amount of about Rs. 90 lakhs is collected. The cess is proposed to be levied on manganese ore at the rate of Re. 1/- per tonne (with an enabling provision for its increase up to a maximum of Rs. 6/- per tonne) which will bring in a revenue of about Rs. 17 lakhs. If a uniform levy of welfare cess on both the minerals is aimed at, then either the rate of levy on iron ore will have to be increased or the proposed levy on manganese ore will have to be brought down. There is no case for increase in the levy of iron ore just now, because even at the present rate, there is an accumulation of about Rs. 3.30 crores in the Fund. On the other hand, if the proposed levy on manganese is decreased, the collection will be too small to serve any useful purpose It is, therefore, proposed to prescribed separate rates of levy of welfare cess on the two minerals in the proposed enactment for the creation of a joint welfare fund. The total cess collected on the two minerals will, however, form a common fund which will be utilised for providing uniform welfare facilities for the workmen employed in iron ore and manganese mines.

The proposed cess on manganese will be on the same basis as provided under the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess (Amendment) Act, 1970 (41 of 1970) which envisages a levy both on exports and internal consumption The internal consumers are mostly the iron and steel plants and other metallurgical factories. While the cess on that portion of these minerals which is exported will be colleced by the Customs Department as a duty of customs, the cess on the minerals internally consumed will be collected by the occupiers of steel plants and metallurgical factories from the persons by whom these minerals are supplied. The occupiers of such plants and factories will then make over to the Government the cess collected. In cases where such plants or factories own captive mines, the owners of such plants or factories would themselves be responsible for the payment of cess on the minerals consumed by them. This procedure of collection of cess through the agencies specified above follows the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946, and the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972, respectively. The Government will, however, be empowered to exempt any factory or class of factories from the levy, if in its opinion, the administrattive cost of collection from such establishments will be disproportionate to the cess collected.

When these Bills are put on the Statute Book Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1961 will be repealed. This Fund like other welfare funds for the miners will be administered in consultation with Regional Advisory Committees. There will also be a Central Advisory Committee to coordinate the activities of the Regional Advisory Committees to ensure their effective functioning. The constitution of these Committees will be almost similar to that now prevailing under the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1961. The welfare amenities in the proposed Acts, shall include medical, housing, water supply, educational and recreational facilities as alredy provided under other mines labour welfare organisations.

The opportunity of repealing the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess

Act, 1961, as amended in 1970, will be taken to make good certain deficiencies in that Act and to introduce such modifications as have already found a place in the latest welfare fund legislation, the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972, viz.,

(a) the metallurgical factories and not the middleman who sells the ore to these factories will be made responsible for collection of cess and its payment to the Government.

(b) labour employed in the mines will be defined to include all those persons indicated in clause (d) of section 2 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972.

(c) Provision will be made for the imposition of penalty for non-payment of cess on the defaulting mine-owners/ persons by whom the ore is disposed of on the lines of sections 13, 14 and 15 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972.

To sum up, the proposal is:

(i) Creation of a joint Iron Ore and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund on the lines of the latest Welfare Fund, namely, the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund and the consequential repealing of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess, Act, 1961.

(ii) Collection of Welfare Cess on export and internal consumption by the iron and steel plant and other metallurgical factories at the following rates:—

(a) Iron Ore—at the rate of 25 Paise per tonne with a permissible limit of Re. 1 per tonne.

(b) Manganese Ore—at the rate of Re. 1/- per tonne with a permissible limit of Rs. 6/- per tonne for the provision of uniform welfare facilities to workers employed in iron ore and manganese ore mines.

(iii) Payment of ½ per cent of the duty collected as customs on the iron ore and manganese ore exported to the Department of Customs.

(iv) Increasing the rates mentioned at (ii) above, when necessary, in consultation with the Department of Expenditure and the Ministry of Commerce.

I do not think there is anything else in the two Bills which require specific comments. As you will see, these are pieces of a welfare legislation; they are a part of the measures that should be undertaken by a Welfare State, and our State being a Welfare State in a very advanced stage, I do not think there will be any objection to such welfare legislations being passed. These are non-controversial pieces of legislation and, with your blessings, I hope, these will be passed without much of discussion.

MR. CHAIRMAN: Motions moved:

"That the Bill to provide for the levy and collection of a cess on iron ore and manganese ore for the financing of activities to promote the welfare of persons employed in the iron ore mines and

[Mr. Chairman]

manganese ore mines and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

"That the Bill to provide for the financing of activities to promote the welfare of persons employed in the iron ore mines and manganese ore mines, be taken into consideration."

Mr. Biren Dutta.

SHRI BIREN DUTTA (Tripura West): Mr. Chairman, of course, we agree with the intention of the Minister; those welfare measures should be accepted without much discussion. But we must exercise some control how these funds realised in coalmines are actually spent for the welfare of the workers and how an organisation like this Advisory Committee, together with the staff, etc., which expenditure is met from this Welfare Fund, function. As far as eur knowledge goes, these Advisory Committees do not really represent the workers. The workers are far off from the purview of this Fund. The workers cannot say what are their immediate welfare needs. Big buildings are sometimes constructed as recreation places, but the workers cannot enter those buildings, and there is no meaning in saying that this Fund is for the welfare of the workers. I think, there must be some provision in this Bill that the Advisory Committee should be formed out of elected representatives of the workers in every mine as well as of representatives of the Unions. In the field level, the Advisory Committee's office should not be in a far-off place; it must be within the mine area. And when expenditure from this Fund is to be made, the workers' general body meeting should be called and they should be asked to suggest what type of welfare measures are needed immediately. If this is not done, it becomes a mere mockery. What happens is, some Minister is invited to a big building; it is said that it is meant to serve as a recreation place for the workers; there will be a gathering of some workers' representatives and some Union leaders; some photographs will be taken and will be shown as a welfare measure. But in actual effect, for the supply of cheaper ration through the workers ration shops in the localities, these workers are always at the mercy of Mahajans If there are some stores created out of this fund in the midst of workers from where they can purchase all their essential commodities easily, that would be welcome and that should be brought within the purview of this Bill, otherwise our experience of such measures is not good.

I do support this Bill, I do not oppose it, but I am astonished, that while some other Bills for welfare were passed, why this Bill for the welfare of workers of iron ore mines and manganese ore mines was delayed for so many years. It should have been brought much earlier. Now that you have brought it, you must draw upon the experience of the funds in coal mines and other areas and see that it is most effectively utilised in this case. That is the crux of the thing. While supporting this Bill, I want to draw the attention of the Minister to the fact that if proper attention is not given, if proper representation is not given to the workers in the Advisory Committees, if general workers are not made aware of this fund at all, it would not serve the purpose. The workers must be made aware of this fund that this is functioning for their betterment and they must suggest, how this fund should be utilised. Some machinery must be provided to hear their say and to decide in every budget how the money is to be spent. With these observations, I support this Bill.

**श्री राम नारायण शर्मा** (धनबाद) : सभापति जी, यह आयरन ओर और मैंगनीज माइन्स सैस बिल और वैलफ़ेयर बिल जो अभी सदन के सामने प्रस्तुत है यह बहुत ही उत्तम बिल है, इसका खदान के सभी मजदूर स्वागत करेंगे। जैसा मंत्री जी ने बतलाया यह वैलफ़ेयर बिल सरकार ने वर्कर्स के लिए प्रस्तुत किया है, यह अति उत्तम है और नेशनल कमीशन आन लेबर ने भी सिफारिश की थी। बल्कि सरकार को चाहिए था कि केवल यही नही, बल्कि और भी कुछ खदान जो छोटी छोटी छूट गई हैं उन के लिए भी एक ही साथ एक ही बिल प्रस्तुत कर इस तरह का प्रावधान होता कि सारे खदान मजदूरों का वैलफ़ेयर होता।

जैसा कि अभी आपके सामने उपस्थित हुआ, माननीय सदस्य ने बतलाया कि उस मे वर्कर्स का रिप्रेजेन्टेटिव होना चाहिये। बिल में इस तरह का प्रावधान है कि वर्कर्स के रिप्रेजेन्टेटिव्ज होंगे, एम्प्लायर के रिप्रेजेन्टेटिव होंगे और सरकार के भी। बराबर बराबर का प्रतिनिधित्व सब का रहेगा। रिजनल कमेटीज होंगी हर स्टेट के लिए और साथ साथ सेंट्रल वैलफेयर एडवाइजरी कमेटी भी होगी। इस तरह का प्रावधान तो है। इस तरह की बातें जो दूसरी एडवाइजरी कमेटीज है उन मे है भी और वे बहुत इफैक्टिवली फंकशन करती हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने चाहा है कि उन पर सीधे चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि आएं। आपको सभापति महोदय जानकारी है कि किस तरह से प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। जो सुसंगठित मजदूर संगठन है उन से प्रतिनिधि मांगे जाते हैं। अब जिन से मांगे जाते हैं वे प्रतिनिधि संस्थायें हैं या नही समय समय पर उसकी भी जांच होती रहती है। पिछले चन्द वर्षों से वह जांच नही हुई है। लकिन आप जानते हैं कि किस कारण से जांच नही हुई है। जाच से कौन लोग भागते रहे है? अब प्रतिनिधियों के जाने लिए सीधे चुनाव हों तो वह चुनाव एक मखौल हो जाएगा और वे प्रतिनिधि भी मखौल के पात्र बनेंगे।

एक दूसरी बात भी सुझाव के रूप में रखी गई है। यह कहा गया है कि कोआप्रेटिव और क्रेडिट सोसाइटी के द्वारा वर्कर्ज का वैलफेयर किया जाए। जहा तक कोल माइन वर्कर्ज का सवाल है दोनों दिशाओं में प्रयास हुआ है और बहुत दिनो तक होता रहा है। इन दोनों संस्थाओं को चलना भी चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि क्रेडिट सोसाइटीज का भी काम बन्द हो गया है। और जो कोआप्रेटिव स्टोर्ज को सहायता दी जाती थी वह भी बन्द हो गई है। एक वैलफेयर का वह काम भी है जो कि होना चाहिये था।

कोलमाइंज के वर्कर्ज के हित के लिए इस मे एक प्रावधान है कि जो सैस कोलेक्ट होगा वह कंसालिडेटिड फंड जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का है उस में जमा हो जाएगा। यह बहुत ही अच्छी बात है कि सरकारी खजाने में वह जमा हो। लेकिन हम लोगों का अनुभव कुछ विचित्र ही है।

[श्री राम नारायण शर्मा]

हमारा अनुभव यह है कि जब पैसे की जरूरत पड़ी है वर्कर्ज के वैलफेयर के लिए उस समय वह पैसा उपलब्ध नही हुआ है। कोल-माइंज वैलफेयर आर्गेनाइजेशन का सात करोड़ रुपया जमा है लेकिन माइनर्ज के हाउसिंग पिछले तीन चार सालों से नहीं बन पाए हैं। पैसा निकल नही पाया है। आपको यह भी पता है कि पैसा निकलना बन्द हो गया, सिमेंट के ऊपर पाबन्दी रही, लोहे के ऊपर पाबन्दी रही जिस की वजह से सारा कस्ट्रक्शन का काम ठप्प हो गया। रुपये इकट्ठे होते जाते हैं और काम नही हो पाता है।

लाइम स्टोन और डोलोमाइट के लिए भी हमने 1972 मे कानून बनाया था। उसके तहत सैस वसूल हो रहा है। वह भी कसालिडेटिड फंड मे जमा हो रहा है। लेकिन एक छदाम भी आज तक उस मे से वर्कर्ज के वैलफेयर के नाम पर खर्च हमने नही किया है। न एडवाइजरी कमेटी बनी न उसकी कोई बैठक हुई और न ही उसके नाम पर कुछ खर्च हुआ। और आयरन ओर के संबंध मे भी आपने देखा है कि मंत्री जी ने बताया है कि यहां काम करने वाले वर्कर्ज के लिए तीन करोड रुपया उन के खजाने मे जमा है। अब वैलफेयर कैसे होगा यह प्रश्न पदा होता है।

अगर 3 साल पहले सन् 1972 में लाइम-स्टोन डोलोमाइट का कानून हुआ, तो मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट तौर से जानना चाहता हूं कि सन् 1972 से अब तक कितना रुपया कलैक्ट हुआ, क्या केवल कलैक्शन चार्ज के अलावा भी उस में खर्चा हुआ है? अगर कलैक्शन चार्जेज के अलावा कुछ खर्चा हुआ है तो क्या हुआ है? अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी सैट-अप हुआ है, या नही? मुझे तो संदेह है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जब सैट-अप होगा, तो उसे काम भी करना होगा।

इस बिल मे ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि 10 परसैंट एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज होंगे जिसका अर्थ यह है कि वैलफेयर कमिश्नर और इंस्पैक्टर आदि स्टाफ के मेन्टीनैंस पर यह 10 परसैंट खर्च होगा। लेकिन होता यह है कि मजदूरों या माइनर्स का वैलफेयर न होकर कभी-कभी वैलफेयर आर्गेनाइजेशन में लगे हुए कर्मचारियों का हो जाता है। वास्तव में जिनका वैल-फेयर होना चाहिये, उनका वैलफेयर नही हो पाता है।

मैं आपके सामने एक उद्धरण देकर बताता हूं। इसमे बहुत सा प्रावधान रखा गया है कि यह किस-किस मद में ऐसा खर्च होगा। इसमे कहा गया है कि पब्लिक हैल्थ, सैनीटेशन, प्रीवेंशन आफ डिसीजेज, मैडिकल फैसिलिटीज, वाटर सप्लाई, एजूकेशनल फैसिलिटीज, हाउसिंग, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, स्टैंडर्ड आफ लिविंग, न्यूट्रीशन, एमिलियोरेशन आफ सोशल कंडीशन तथा ट्रांस्पोर्ट वगैरा के लिये प्रावीजन होगा।

आप इससे देखेंगे कि बहुत से फंक्शन जो माइन ओनर्स के हैं, वे सारे फंक्शन भी इसमें शामिल हैं। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं कि कोल माइन्स के लिये हाउसिंग की रिस्पोन्सिबिलिटी, होलसम ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी झरिया माइन्स एक्ट के मुताबिक माइन-ओनर की थी। यह सब माइन ओनर्स काम करते थे लेकिन जब से वैलफेयर आर्गेनाइजेशन आया है, माइन-ओनर्स ने बिल्कुल काम बन्द कर दिया है, । वह पानी भी नहीं देते और मकान भी नहीं बनाते। यह जिम्मेदारियां दोनों उनकी थीं : 300 एम्पलाई पर एक आफिसर रहेगा, डिस्पेंसरी रहेगी, लेकिन सारी चीजों को उन्होंने पास-ओवर कर दिया वैलफेयर आर्गे-नाइजेशन पर। सारी चीजों से उन्होंने अपने आपको बचा लिया और वैलफेयर आग-नाइजेशन ने सारी चीजों को अपने ऊपर ले लिया । इस तरह से मालिकों की एडीशनल आमदनी हो गई। क्योंकि कोयले की कीमत तय करते वक्त ये सारी चीजें जोड़ी गई लेकिन यह सारी जिम्मे-दारी वैलफेयर आर्गेनाइजेशन ने ले ली, तो जो वे सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो गये और उस के बाद से उन्होंने रिबेट लेना शुरू किया । मकान बनाने के लिये 25 परसैंट सबसीडी शुरू की गई। 25 परसैंट सब-सीडी, 37 परसैंट लोन और उसके बाद 100 परसैंट हुआ लेकिन फिर भी वे मकान बनाने के लिये तैयार नहीं हुए हैं जिस की वजह से आज 7 से 10 करोड़ रुपये तक हाउसिंग फंड ; रुपया जमा ; है । इस तरह की स्थिति बनी हुई है ।

यह बिल तो नान-कंट्रोवर्शियल है और मैं इसका तहे दिल से समर्थन करता हूं, लेकिन पिछले वाक्यों से कुछ शिक्षा लेने का भी यही समय है । फिर और समय तो होगा नहीं जिसे कि हम इन सारी आर्गेनाइजेशन की वर्किंग को देखें और उस पर गौर करें और उस में सुधार के लिये सुझाव देंज ।

मैं सरकार का ध्यान इस तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं कि जो संस्थायें स्थापित की जाती हैं, उन को बखूबी चलाया जाये, और जिस उद्देश्य से उन को स्थापित किया जाता है , उस उद्देश्य को हमेशा सामने रखा जाये । आयरन ओर की बड़ी बड़ी माइन्ज़ ज्यादातर टिस्को, इस्को और हिन्दुस्तान स्टील जैसी बड़ी बड़ी कम्पनियों की हैं। वहां पहले से ही बहुत सी वेलफ़ेयर फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इस बिल के उद्देश्यो के वक्तव्य में कहा गया है कि यह फंड क्रीएट कर के उन वेलफ़ेयर फ़ैसिलिटीज़ को सप्लीमेंट किया जायेगा, उन के य बदले में नहीं किया जायेगा । लेकिन होता यही है कि उन वेलफ़ेयर एक्टिविटीज़ को सप्लीमेंट नहीं किया जाता है, बल्कि उन के बदले में दिया जाता है । आयरन और माइन्ज़ के सम्बन्ध में भी मेरा यही एप्रिहेंशन है ।

मैं मंत्री महोदय से , जो इन सारी संस्थाओं के विभागीय मंत्री हैं, निवेदन करूंगा कि वह इन सब संस्थाओं के वर्किंग को देखें और उस में जो त्रुटियां हों, उन को दूर करें ।

मैं इस बिल का तहेदिल से समर्थन करता हूं ।

**श्री झारखंडे राय (घोसी)** : सभापति महोदय, यह बात सही है कि हमारे समाज में, और ससार के दूसरे देशों के समाज में भी, मजदूरों की अवस्था सब से खराब रही है, और आज भी है उस अवस्था में सुधार का प्रयास जगह जगह हुआ है और मजदूरो के सघर्षों ने उस सुधार को लाने में सब से बडी भूमिका अदा की है ।

जो विधेयक हमारे सामने पेश है, मैं उस का हार्दिक समर्थन करता हू, क्योंकि इस मे समर्थन न करने की कोई बात है ही नही । जहा तक मजदूरो की अवस्था का प्रश्न है, चाहे वे खेत-मजदूर हो और चाहे शहरो और कारखानो में काम करने वाले उद्योग मजदूर हो, उन मे सब से खराब हालत खानो में काम करने वाले मजदूरो की रही है, और आज भी है । अगर उन की अवस्था को अर्द्ध-गुलाम की दशा कहा जाये, तो अतिशयोक्ति नही होगी । स्वतत्रता के बाद उस में काफी परिवर्तन हुआ है । उस से पहले भी सघर्षों के कारण ब्रिटिश सरकार उन की हालत में परिवर्तन करने पर समय समय पर मजबूर हुई थी । लेकिन आज भी देश के दूसरे उद्योग-मजदूरो की अपेक्षा खानो में काम करने वाले मजदूरो की हालत सब से खराब है, भले ही वे किसी प्रकार की खानो में काम करते हो । उन की अवस्था कही कहीं तो अर्द्ध-गुलाम जैसी मालूम होती हैं, विशेषकर उन स्थानो में जो बहुत सुदूर स्थित हैं । बस्तियों और स्टेशनों से दूर जंगल-पहाडों में स्थित खानों में जो मजदूर काम करते हैं, उन की हालत सब से अधिक खराब हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं एक मिसाल आप के सामने पेश करना चाहता हूं । जहां तक मुझे जानकारी हैं, मध्य प्रदेश का बस्तर जिला सम्भवत. केरल प्रदेश से भी बडा हैं । बस्तर के इलाके मे ट्रेनों और यातायात के अन्य साधन नही के बराबर हैं । वहा बैलाडीला खान मे हजारो मजदूर काम करते हैं । वहां जो भी गया होगा, उस पर यह स्पष्ट छाप पडी होगी कि ये मजदूर इन्सान हैं या आधे-इन्सान है । वहा से जो ट्रेन आती है उस में माल आने जाने की सुविधा तो है लेकिन यात्रियो के लिए कोई गाडी नही है । मेरा एक सुझाव मत्री जी को होगा कि ऐसे दूर दूर स्थित जो खदाने हैं वहा से आने जाने की, यातायात की सुविधा वहा के मजदूरों को भी अच्छी तरह होनी चाहिए । इस का एक सर्वेक्षण कर के जो स्थान जितना ही दूर है उस पर पहले ध्यान दिया जाय और उसी क्रम से सब के ऊपर ध्यान दिया जाय ।

इस पूरे बिल को देखने के बाद मुझे भी लगा, जैसे हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि यह बिल अधूरा हैं । कई पुराने कानूनो की इस में भी चर्चा की गई हैं । मत्री जी ने अभी अपने भाषण मे भी इस का जिक्र किया । तीन कानूनो की इस मे चर्चा की है, उन का उस में सन्दर्भ और उद्धरण दिया गया हैं । तो मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार हर तरह के खदान मे काम करनेवाले मजदूरों के ऊपर पूरा काम्प्रीहेन्सिव बिल लाये, चाहे इसी समय मैं लाये, तो यह बहुत अच्छा होगा और इतने बड़े महादेश के खानों

[मैं काम करने वाले जितने भी प्रकार के मजदूर हैं, उन की सेवाओं, उन के हालात और उन की सहूलियतों का समानीकरण किया जाना चाहिये, यह बहुत जरूरी होगा ।

मैं एक बात की चर्चा इस सिलसिले में करूंगा । बहुत दिन पहले सोवियत यूनियन की कम्यूनिस्ट पार्टी के तत्कालीन महामंत्री श्री खुश्चेव उस समय के सोवियत प्रधान मंत्री बुलगानिन साहब के साथ पहली बार यहां आये थे । खुश्चेव साहब स्वयं एक गडरिया के लड़के थे और जब होश सम्भाला तो कोयला खान के मजदूर हो गये । उन को हम जीवन का, किसान जीवन का, खेतीहर जीवन का और खान जीवन का अच्छा और प्रत्यक्ष अनुभव था । बाद में वे सोवियत जीवन के उच्चतम स्थान पर पहुचे थे । उन्होंने भारत में अपनी एक स्पीच में में इस बात की चर्चा की थी। कुछ रेफेन्स देते हुए उन्होने कहा था कि खान के मजदूरों की अवस्था हमारे यहां भी बहुत पहले खराब रही है, यहां भी है और हर जगह रही है । इन की तरफ हम सब को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। एक बात और कह दूं माननीय हनुमतैया जी इस समय यहां नहीं हैं वे एक बार सोवियत यूनियन गए थे तो उन्होंने वहां से लौटने के बाद एक वक्तव्य दिया था । उस वक्तव्य की कटिंग मेरे पास है उसमें उन्होने हमारे देश की सोवियत यूनियन की सेवाओं और उनके वेतनमान की तुलना की थी । उन्होंने कहा था कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पे स्केल यहां की जूडीशियरी के हैं । सोवियत यूनियन में सबसे ज्यादा पे-स्केल वहां के टैक्नीकल हैण्ड्स के हैं जो शिल्पकार हैं; इंजीनियरज हैं डाक्टर हैं; मूर्तिकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं आदि आदि उनके पे-स्केल सब से ज्यादा हैं हमारे देश में दूसरे दर्जे का पे-स्केल आई० सी० एस० और आइ० ए० एम० अर्थात् अखिल भारतीय या प्रादेशिक सेवाएं हैं; उनका है । सोवियत यूनियन में दूसरे दर्जे का पे-स्केल खान के मजदूरों का है और उसमें भी कोयले की खान के मजदूरों का है । मेरे कहने का मतलब यह है कि समाजवादी दुनिया में खदान के मजदूरों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है । हमारे देश में भी ऐसा ही होना चाहिए । इस लिए मैं कह रहा था कि एक विस्तृत कानून इस विषय पर लाया जाए सबसे ज्यादा खान के मजदूर चाहे वे किसी भी खान के मजदूर हों; हमारी सहानुभूति और हमदर्दी के मुस्तहक हैं, क्योंकि ये सबसे अधिक जोखिम का काम करते हैं । किसी फैक्टरी में काम करना धरती के ऊपर, और खान में काम करना यानी धरती के नीचे, दोनों में जमीन आसमान का अन्तर होता है । चास्नाला खान दुर्घटना से हम समझ सकते हैं । हमारे देश के इतिहास में यह एक भयंकरतम दुर्घटना हुई है । 25-30

[श्री झारखंडे राय]

लाशें भी मिली ही, बाकी का पता नहीं उनकी हड्डीया तक नही मिली। उनके परिवार वालो को उन के मृत शरीर का दर्शन भी नही मिल सका। इस लिए इनके बारे मे सरकार को कम्प्रीहेन्सिव बिल जरूर लाना चाहिए।

जहा तक फण्ड्स के सदुपयोग की बात है, दोनों पूर्व वक्ताओ ने कहा है कि कन्सोलिडेटेड फण्ड के नाम पर फण्ड हो और वह इस्तेमाल न हो, यह ठीक नही है।

MR. CHAIRMAN: Is the hon. Member closing his speech? If not, he may continue his speech tomorrow.

The House stands adjourned to meet tomorrow.

18.00 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 26, 1976/Chaitra 6, 1898 (Saka)*

GMGIPND—M—14LS—Mono—8-5-76—978.